हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 282/2014 अनवान मंगलाराम बनाम सरकार**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र जालीपा पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 25.05.2018 को अटल सेवा केन्द्र जालीपा पर पत्रावली पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, (एसडीओ) बाडमेर **आदेश**	
25.05.2018	यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र जालीपा पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि ग्राम चक धोलका पटवार क्षैत्र जालीपा में स्थित मूल खसरा संख्या 11 रकबा 212.12 बीघा भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। उक्त भूमि में से हरसाणी फांटा से जिप्सम हाल्ट एनएच 112 तक जाने वाली सडक का निर्माण किये जाने पर मूल खसरा नम्बर के कई बट्टा नम्बर अंकित हुए। लठ्ठा ट्रेस में उक्त भूमि की सही तरमीम मौके के अनुसार नही होने से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार बाडमेर से मौके की स्थिति की जांच करवाते हुए राजस्व अभिलेख में सही तरमीम करवाये जाने का निवेदन किया। प्रकरण पंजीयन कर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु समूचित अवसर दिया गया। तहसीलदार बाडमेर से वादग्रस्त भूमि के बारे में तथ्यात्मक प्रतिवेदन में प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार बाडमेर ने अपने प्रतिवेदन में दिनांक 13.01.2016 से मौका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार बाडमेर के प्रतिवेदन से राजस्व अभिलेख में मौके के अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम नही होना अंकित किया है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा मौके का कोई नक्शा प्रस्तुत नही किया है ओर न ही तरमीम दुरूस्त किये जाने के बारे में अपनी स्पष्ट अभिशंषा अंकित की है। मौका फर्द में काठ–साठ कर	
उप खण्ड अधिकारी बाडमेर		

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 282/2014 अनवान मंगलाराम बनाम सरकार**
	प्रतिवेदन को संदेह की स्थिति उत्पन्न कर दी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख में संशोधन किये जाने का कोई आधार नही होने से आवेदन निरस्त किया जाता है। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, (एसडीओ) बाडमेर

Scanned by CamScanner